उत्पाद शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि 47782 करोड़ रुपये थी। यह राशि वर्ष 1996-97 के दौरान वसूल की गई 44918 करोड़ रुपये की राशि से अधिक थी।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई सूचना नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में कारखाने बंद होने के कगार पर हैं।

Rules/Regulations Regarding Promotion of Re-Employees Ex-Servicemen in GIC

3732. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether DOP&T OM. No.14023/1/90 Estt. (D) dated 21st May, 1991 as applicable to GIC and its subsidiaries in respect of promotion to the cadre of re-employed ex-servicemen;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether GIC or its subsidiaries have framed any rules/regulations for giving weightage to past defence service rendered by them for promottion to Group C and D as applicable to ex-servicemen re-employed in banks;

(d) if not, the reasons therefor;

(e) whether ex-servicemen in possession of Graduation Certificate under relevant rules of DOP&T re-employed in GIC and its subsidiaries are absorbed as Graduates and paid Graduation allowance; and

(f) if so, number of such persons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAN): (a) No, Sir.

(b) Office Memoranda issued by the Department of Personnel and Training are not ipso-facto applicable to public undertakings. However, Ministry of Finance has issued separate instructions covering various aspects of re-employed ex-servicemen in insurance industry.

(c) No, Sir.

(d) The GIC have reported that the proposal was examined and it was observed that such weightage would have disturbed the seniority of existing employees and was fraught with avoidable litigation and industrial unrest amongst the employees other than ex-servicemen.

(e) No, Sir.

(f) Does not arise.

घोटालों में शामिल पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

3733. **श्री राम गोपाल यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न घोटालों में शामिल पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, और वे बैंक में अभी भी महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बार-बार मांग करने के बावजूद भी घोटालों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कोई जांच नहीं करायी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त मामले के संदर्भ में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनन): (क) से (ग) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि जब कभी गंभीर चूकों का पता चलता है तो बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। बैंक के अनुसार धोखाधड़ी के सभी मामलों को जहां आवश्यक समझा गया, केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास भेज दिया गया है और जहां कहीं आवश्यक हुआ है, अनियमितताओं में शामिल अधिकारियों को संवेदनशील पदों से स्थानांतरित भी कर दिया गया है। सीबीआई ने सूचित किया है कि वर्ष 1995, 1996, 1997 और 1998 (30-4-1998 तक) के दौरान सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक में हुई विभिन्न अनियमितताओं में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध 34 मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में से 8 मामलों में अब तक न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं और तीन मामलों में नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

IMF Suggestion for full Convertibility of Rupee

3734. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the International Monetary Fund has formally suggested to